

फर्द अहकाम

बनाम

(हजार ७११२) २१/०८/२०१९

128/2019

दिनांक २३-११-१६	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------------	--------------------	-------------

पत्रावली पेश हूँ। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी बौद्ध हौदर तहसीलदार कोटपुलती की ओर से प्रेषित होकर प्रश्नगत (नायब तहसीलदार कोटपुलती) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत प्रकरण में प्रथमा-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छौट एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में इस्तगत प्रकरण में वर्जित आराजी से सम्बन्धित मू-आवदन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की छाया प्रति आदि रिकॉर्ड वस्तुवाचाल पेश किये।

इमने प्रेषित प्रकरण के कथनों पर विचार किया तथा प्रस्तुत प्रथमा-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर स्थाई न्यायिक आदेश की गयी विवाहित मूमि का आवंटन मू-आवदन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रेषित प्रकरण ने उक्त विवाहित मूमि से सम्बन्धित स्थाई न्यायिक आदेश के हक में किया गया अलाउटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन आवंटन की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की अभिम कार्यवाही की जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रेषित प्रकरण द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल रूमनर होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाना दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

आदिलता निवा: जयपुर (अग्र)

22